



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1673 वर्ष 2026

हरेंद्र पाल और 8 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह प्रतिवादी के
अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बीएन सिंह राठौर और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की दलीलें सुनीं।
- याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ और समान स्थिति वाले अधिकारियों को पीएससी से सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं के दावे का फैसला सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस महानिरीक्षक, पीएससी मुख्यालय, यूपी लखनऊ द्वारा किया जाना है।
- बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेगा।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"